

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,  
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड,  
देहरादून।

ई०म० द्वारा

संख्या: 195/ई-निवि०सह०ई-नीला०/भू०खनि०ई०/उत्तरकाशी/2018-19

दिनांक: 29 मई, 2018

कार्यालय ज्ञाप

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड, भोपालपानी, देहरादून के ई-निविदा सह ई-नीलामी आमंत्रण प्रपत्र संख्या 010\_Pithoragarh\_Digada\_0.72ha/भू०खनि०ई०/ई०निवि०सह०ई०नीला०/2017-18, दिनांक 07 फरवरी, 2018 एवं जनपद पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, रूद्रप्रयाग, हरिद्वार एवं पौड़ी गढ़वाल के 5.00 है० तक के क्षेत्रफल के कुल 85 खनन लॉटों को ई-निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से आवंटन हेतु जारी संशोधित विज्ञापन संख्या 05/ई०निवि०सह०ई० नीला०/भू०खनि०ई०/ 2017-18, दिनांक 23 फरवरी, 2018 के द्वारा जनपद पिथौरागढ़ की तहसील डीडीहाट के ग्राम दिगडा, क्षेत्रफल 0.72 हैक्टेयर रिक्त उपखनिज क्षेत्र में उपलब्ध बालू, बजरी, बोल्टर (आर०बी०एम०) को ई-निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से आवंटन हेतु विज्ञापित प्रकाशित की गयी थी।

2- उक्त उपखनिज क्षेत्र हेतु तकनीकी ई-निविदा दिनांक 12.03.2018 को खोली गयी थी। उक्त लॉट हेतु अधिकतम निर्धारित मात्रा 8910 टन एवं न्यूनतम निर्धारित मात्रा 4455 टन है। तदोपरान्त उक्त उपखनिज लॉट की वित्तीय निविदा दिनांक 16.03.2018 को खोली गयी।

3- उक्त लॉट हेतु दिनांक 12.03.2018 को खोली गयी प्रथम चरण की ई-निविदा में 04 निविदादाताओं द्वारा प्रतिभाग किया गया। तकनीकी निविदा के मूल्यांकन का परिणाम 16.03.2018 को घोषित किया गया, जिसमें उक्त 04 निविदाकारों की तकनीकी निविदा को स्वीकृत करते हुए वित्तीय ई-निविदा बोली दिनांक 19.03.2018 को खोली गयी। प्राप्त ई-निविदाओं का मूल्यांकन करते हुए समिति द्वारा सुसंगत नियमों के अधीन निम्नानुसार संस्तुति प्रदान की गयी है :-

तालिका- 1

क्र०सं०	आवेदक का नाम/निवासी	यूनिक आई/बिडर आई०डी०	आवेदक की वित्तीय बोली
1	श्री रविन्द्र भण्डारी	34144 M171229121704060	8,910 टन
2	श्री संजय कुमार	34254 M171229175955837	8,910 टन
3	श्री वंशीधर भट्ट	34300 M171229162507383	8,910 टन
4	श्री नील बहादुर चन्द	34323 M171222123909143	8,910 टन

जनपद पिथौरागढ़ की तहसील डीडीहाट के ग्राम दिगडा, क्षेत्रफल 0.72 हैक्टेयर हेतु प्रथम चरण में ई-निविदा में प्राप्त अधिकतम चाही गयी अंकित मात्रा उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 27 ग के उपनियम-11(5) के अनुसार 8,910 टन प्राप्त हुई।

जनपद पिथौरागढ़ की तहसील डीडीहाट के ग्राम दिगडा, क्षेत्रफल 0.72 हैक्टेयर हेतु उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 27 ग के उपनियम-11 प्रथम चरण के अनुसार द्वितीय चरण की ई-नीलामी की न्यूनतम बोली धनराशि (Floor price) = 8,910 x 35.00 = ₹ 3,11,850.00 (₹ 3 लाख ग्यारह हजार आठ सौ पचास मात्र) निर्धारित की गयी।

कार्यालय ज्ञाप संख्या 48/ई०निवि०सह०ई०नीला०/परिणाम/प्र०च०/पिथौ०/भू०खनि०ई०/2017-18, दिनांक 21 मार्च, 2018 के द्वारा जनपद पिथौरागढ़ की तहसील डीडीहाट के ग्राम दिगडा, क्षेत्रफल 0.72 हैक्टेयर हेतु समिति की संस्तुति पर प्रथम चरण की वित्तीय बोली के परिणाम के आधार पर द्वितीय चरण (ई-नीलामी) हेतु न्यूनतम बोली धनराशि (Floor price) ₹ 3,11,850.00 (₹ 3 लाख ग्यारह हजार आठ सौ पचास मात्र) निर्धारित की गयी।

4- ई-निविदा सह ई-नीलामी के द्वितीय चरण (ई-नीलामी) में प्रतिभाग करने हेतु उपरोक्त प्रथम चरण (ई-निविदा) के सफल निविदाकारों को कार्यालय के पत्र संख्या 002\_Uttarkashi\_Sunara\_Barkot\_0.195ha/भू०खनि०ई०



/ई0निविदा0सहई0नीला0/2017-18, दिनांक 23 मार्च, 2018 के माध्यम से ई-निविदा सह ई-नीलामी आमंत्रण प्रपत्र जारी किया गया, जिसकी सूचना विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर, व्यक्तिगत दूरभाष तथा ई-मेल के द्वारा भी सभी उपरोक्त सफल निविदाकारों को दी गयी।

5- ई-निविदा सह ई-नीलामी के द्वितीय चरण (ई-नीलामी) में प्रतिभाग करने हेतु पूर्व निर्धारित तिथि 04.04.2018 सायं 5.00 बजे तक उक्त तालिका में वर्णित बोलीदाताओं द्वारा <https://eauction.gov.in> के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन प्रपत्र एवं वांछित अभिलेख अपलोड कर प्रस्तुत किये गये हैं।

6- उपरोक्त तालिका में वर्णित सभी 04 इच्छुक बोलीदाताओं के आमंत्रण प्रपत्र तथा उसके साथ संलग्न वांछित अभिलेखों का परीक्षण/मूल्यांकन करने के उपरान्त समिति की संस्तुति के आधार पर सम्यक विचारोपरान्त उपरोक्त तालिका में वर्णित बोलीदाताओं को ई-निविदा सह ई-नीलामी आमंत्रण प्रपत्र में वर्णित तिथि एवं समय पर ऑनलाईन नीलामी प्रक्रिया में प्रतिभाग करने की अनुमति कार्यालय ज्ञाप संख्या 17/ई-निविदा सह ई-नीलामी/भू0खनि0ई0/2017-18, दिनांक 04 अप्रैल, 2018 के द्वारा प्रदान की गयी।

ई-नीलामी (द्वितीय चरण) में प्रतिभाग करने हेतु अनुमत किये गये निविदाकारों/बोलीदाताओं द्वारा दिनांक 09 अप्रैल, 2018 को प्रातः 02:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक पूर्व निर्धारित समयान्तर्गत ई-नीलामी प्रक्रिया में प्रतिभाग किया गया, जिसके ऑन लाईन परिणाम [eauction.uk.gov.in](http://eauction.uk.gov.in) software के द्वारा ऑनलाईन परिणाम निम्नानुसार प्राप्त हुए हैं :-

क्र0 सं0	बिडर मास्कड आई0डी0	उच्चतम बिड सबमिट करने की तिथि एवं समय	बिडर वैल्यू रू0
1.	20181303511453	09 अप्रैल, 2018 सायं 05:29 बजे	3001125.00
2.	20181303512563	09 अप्रैल, 2018 सायं 05:07 बजे	1000928.00
3.	20181303512359	09 अप्रैल, 2018 अपराहन 02:34 बजे	314968.00
4.	20181303512361	09 अप्रैल, 2018 सायं 05:29 बजे	2987094.00

प्रतिभाग/निविदाकारों/बोलीदाताओं की संख्या 04 प्राप्त हुई है, जिसके द्वारा बोली गई उच्चतम बोली रू0 30,01,125.00 (रू0 तीस लाख एक हजार एक सौ पच्चीस मात्र) उक्त तालिका में वर्णित है।

7- ई- ऑक्शन सॉफ्टवेयर के द्वारा प्रतिभागी निविदाकारों/बोलीदाताओं की मास्कड आई0डी0 हटाते हुए निम्नानुसार परिणाम प्रस्तुत किये गये, जिसकी घोषणा कार्यालय ज्ञाप संख्या 79/ई-निविदा सह ई-नीलामी/भू0खनि0ई0/2017-18, दिनांक 11 अप्रैल, 2018 के द्वारा की गई :-

क्र0 सं0	ई-ऑक्शन सॉफ्टवेयर में बिडर मास्कड आई0डी0/नाम (विभागीय वेबसाइट द्वारा निर्गत पंजीकरण सं0)	उच्चतम बिड सबमिट करने की तिथि एवं समय	बिडर वैल्यू रू0	उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली (संशोधित) 2017 के सुसंगत नियम 27 ग उपनियम द्वितीय चरण 5 के द्वारा
1	20181303511453/ M/s Ravindra Singh Bhandari (M171229121704060)	09 अप्रैल, 2018 सायं 05:29 बजे	3001125.00	H1
2	20181303512361/ Sanjay Kumar (M171229175955837)	09 अप्रैल, 2018 सायं 05:29 बजे	2987094.00	H2
3	20181303512563/ Vanshidhar Bhatt (M17122916250660)	09 अप्रैल, 2018 सायं 05:07 बजे	1000928.00	H3
4	20181303512359/ Neel Bahadur Chand (M171222123909143)	09 अप्रैल, 2018 अपराहन 02:34 बजे	314968.00	H4

8- कार्यालय ज्ञाप संख्या 79/ई-निविदा सह ई-नीलामी/भू0खनि0ई0/ 2017-18, दिनांक 11 अप्रैल, 2018 के द्वारा ई- ऑक्शन सॉफ्टवेयर से प्राप्त परिणाम के आधार पर प्रतिभागी निविदाकारों/बोलीदाताओं को उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के सुसंगत नियम 27 (ग) उप नियम द्वितीय चरण (5) के द्वारा उपरोक्त वर्णित तालिकानुसार प्रतिभागी निविदाकार/बोलीदाताओं को उनके द्वारा दर्ज अंतिम उच्चतम बोली के आधार पर क्रमशः H1, H2, H3, H4 ई-नीलामी बोलीदाता घोषित किया गया।



9- कार्यालय ज्ञाप संख्या 79/ई-निविदा सह ई-नीलामी/भू0खनि0ई0/ 2017-18, दिनांक 11 अप्रैल, 2018 द्वारा मै0 रविन्द्र सिंह भण्डारी (M171229121704060) को जनपद पिथौरागढ़ की तहसील डीडीहाट के ग्राम दिगडा, क्षेत्रफल 0.72 हैक्टेयर उपखनिज क्षेत्र से कुल 8910 टन उपखनिज की निकासी हेतु कुल धनराशि रू0 30,01,125.00 (रू0 तीस लाख एक हजार एक सौ पच्चीस मात्र) को ई-निविदा सह ई-नीलामी प्रक्रिया के आवंटन हेतु H1 घोषित करते हुए सूचित किया गया कि उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 28 (क) उपनियम (1) के अनुसार अपेक्षित है कि उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के सुसंगत नियमान्तर्गत तीन दिन के अन्तर्गत बोली गई अधिकतम उच्चतम बोली का दस प्रतिशत धनराशि अर्थात रू0 3,00,113.00 (रू0 तीन लाख एक सौ तेरह मात्र) विभागीय लेखाशीर्षक में ट्रेजरी चालान के माध्यम से जमा कराते हुए तत्काल ट्रेजरी चालान की प्रति एवं विभागीय वेबसाईट में पंजीकरण के दौरान प्रेषित समस्त अभिलेखों की मूल प्रतियों सहित कार्यालय में जमा कराने के उपरान्त आपको सफल बोलीदाता माना जायेगा।

यह भी सूचित किया गया कि उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 28 (ख) उपनियम 3 के अनुसार सात कार्यदिवसों के अन्तर्गत दस प्रतिशत धनराशि रू0 3,00,113.00 (रू0 तीन लाख एक सौ तेरह मात्र) निर्धारित विभागीय लेखाशीर्षक में जमा करनी होगी। उक्त धनराशि जमा कराये जाने के उपरान्त ही उन्हे प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक घोषित किया जायेगा तथा प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक के पक्ष में आशय पत्र जारी किये जाने की अग्रेत्तर कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी। उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के सुसंगत नियमों एवं जनपद पिथौरागढ़ की तहसील डीडीहाट के ग्राम दिगडा, क्षेत्रफल 0.72 हैक्टेयर उपखनिज क्षेत्र के ई-निविदा सह ई-नीलामी प्रक्रिया हेतु जारी निविदा प्रपत्र में वर्णित विभिन्न शर्तों अनुदेशों के अधीन समस्त कार्यवाही निर्धारित समयान्तर्गत सम्पन्न कराना सुनिश्चित करें।

10- कार्यालय ज्ञाप संख्या 79/ई-निविदा सह ई-नीलामी/भू0खनि0ई0/ 2017-18, दिनांक 11 अप्रैल, 2018 के क्रम में मै0 रविन्द्र सिंह भण्डारी H1 ई-नीलामी बोलीदाता द्वारा ई0 निविदा में बोली गई उच्चतम बोली रू0 30,01,125.00 (रू0 तीस लाख एक हजार एक सौ पच्चीस मात्र) के सापेक्ष नियमावली के नियम 28(क)(1) के प्राविधानानुसार 10 प्रतिशत सफल बोलीदाता धनराशि रू0 3,00,113.00 (रू0 तीन लाख एक सौ तेरह मात्र), नियमावली के नियम 28(क)(3) के प्राविधानानुसार तथा 10 प्रतिशत प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक धनराशि रू0 3,00,113.00 (रू0 तीन लाख एक सौ तेरह मात्र) निर्धारित समयान्तर्गत जमा नहीं करायी गयी तथा उक्त के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई सूचना अद्यतन उपलब्ध नहीं करायी गयी, के दृष्टिगत नियमावली के नियम 28(क)(2) के प्राविधानानुसार मै0 रविन्द्र सिंह भण्डारी H1 निविदादाता के रूप में असफल घोषित किया गया।

उक्त के क्रम में कार्यालय ज्ञाप संख्या 134/ई-निविदा सह ई-नीलामी/भू0खनि0ई0/पिथौरागढ़/ 2017-18, दिनांक 02 मई, 2018 के द्वारा श्री संजय कुमार H2 ई-नीलामी बोलीदाता को अवगत कराया गया कि उनके द्वारा ई0 निविदा सह ई-नीलामी में बोली गई उच्चतम बोली रू0 29,87,094.00 (रू0 उनतीस लाख सत्तासी हजार चौरानवें मात्र) के सापेक्ष नियमावली के नियम 28(क)(1) के प्राविधानानुसार 10 प्रतिशत सफल बोलीदाता धनराशि रू0 2,98,709.40 अर्थात 2,98,709.00 (रू0 दो लाख अठानवें हजार सात सौ नौ मात्र), नियमावली के नियम 28(क)(3) के प्राविधानानुसार तथा 10 प्रतिशत प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक धनराशि रू0 2,98,709.40 अर्थात 2,98,709.00 (रू0 दो लाख अठानवें हजार सात सौ नौ मात्र) विभागीय लेखाशीर्षक में ट्रेजरी चालान के माध्यम से जमा कराते हुए तत्काल ट्रेजरी चालान की प्रति एवं विभागीय वेबसाईट में पंजीकरण के दौरान प्रेषित समस्त अभिलेखों की मूल प्रतियों सहित कार्यालय में जमा कराने के उपरान्त आपके पक्ष में आशय पत्र जारी किये जाने की अग्रेत्तर कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी।

उक्त के सम्बन्ध में श्री संजय कुमार द्वारा कार्यवाही नहीं की गयी व किसी प्रकार की कोई सूचना अद्यतन उपलब्ध नहीं करायी गयी, के दृष्टिगत नियमावली के नियम 28(क)(2) के प्राविधानानुसार श्री संजय कुमार H2 निविदादाता के रूप में असफल है।

11- उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 28 (क) "ई-निविदा सह ई-नीलामी से पट्टे का दिया जाना" के उपबिन्दु- 1, 2, 3 व 4 में निम्न प्राविधान है:-

1. द्वितीय चरण की बोली समाप्त होने के उपरान्त उच्चतम बोलीदाता द्वारा दी गयी वार्षिक ई-नीलामी बोली धनराशि का दस प्रतिश (10%) "सफल बोलीदाता धनराशि" तीन दिन के अन्तर्गत विभागीय payment gate way के माध्यम से ऑन लाईन जमा करने के उपरान्त सफल बोलीदाता घोषित किया जायेगा।



2. H1 के असफल होने की दशा में उसकी अर्नेस्ट मनी का जब करते हुए कोटिक्रम में द्वितीय ई-नीलामी बोलीदाता H2 को उसकी बोली के मूल्य का दस प्रतिशत कार्य दिवसों के अन्तर्गत जमा कराये जाने का अवसर प्रदान कराया जायेगा, उसके भी असफल होने की दशा में उसकी अर्नेस्ट मनी जब करते हुए उत्तरोत्तर कोटिक्रम का अनुपालन करते हुए अन्तिम सफल बोलीदाता तक प्रक्रिया सम्पन्न कर सफल पाये गये सफल ई-नीलामी बोलीदाता की घोषणा निदेशक द्वारा की जायेगी। सभी ई-नीलामी बोलीदाताओं के असफल होने की दशा में उनके द्वारा जमा अर्नेस्ट मनी को जब करते हुए ई-नीलामी बोली की प्रक्रिया को समाप्त घोषित किया जायेगा तथा खनन पट्टे हेतु ई-निविदा सह ई-नीलामी की प्रक्रिया सात दिन की अत्यावधि की विज्ञप्ति के उपरान्त पुनः प्रारम्भ की जायेगी।
3. सफल ई-नीलामी बोलीदाता द्वारा अधिकतम वार्षिक नीलामी बोली का दस प्रतिशत (10%) "प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक धनराशि" (बिन्दु (2) के अतिरिक्त) सात कार्यदिवसों के अन्दर विभागीय पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से ऑन लाईन जमा करने के उपरान्त प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक अर्थात् ऐसा सफल ई-नीलामी बोलीदाता, जो अधिकतम वार्षिक नीलामी बोली का 10 प्रतिशत धनराशि जमा कर दिया हो, घोषित किया जायेगा।
4. प्रस्तर संख्या (1) के अनुसार घोषित उच्चतम बोलीदाता H1 द्वारा प्रस्तर (2) व (4) में से किसी स्तर पर निर्धारित समयान्तर्गत कार्यवाही न किये जाने के फलस्वरूप असफल होने की दशा में बिन्दु संख्या (3) के अनुसार निर्धारित H2 व कोटिक्रमानुसार अवसर प्रदान करते हुए उपरोक्तानुसार वर्णित विधि से खनन पट्टा आवंटन की प्रक्रिया सम्पन्न की जायेगी।

उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 27 ग द्वितीय चरण के बिन्दु संख्या-5 के प्राविधानानुसार कार्यालय ज्ञाप संख्या 134/ई-निविदा सह ई-नीलामी/भूखनि0ई0/ 2017-18, दिनांक 02 मई, 2018 में श्री वंशीधर भट्ट अधिकतम ई-नीलामी बोली रू0 10,00,928.00 (रूपये दस लाख नौ सौ अट्ठाईस मात्र) के सापेक्ष H3 ई-नीलामी बोलीदाता घोषित हैं।

कार्यालय ज्ञाप संख्या 134/ई-निविदा सह ई-नीलामी/भूखनि0ई0/ 2017-18, दिनांक 02 मई, 2018 के क्रम में श्री संजय कुमार H2 ई-नीलामी बोलीदाता द्वारा ई0 निविदा में बोली गई उच्चतम ई-नीलामी बोली रू0 29,87,094.00 (रू0 उनतीस लाख सत्तासी हजार चौरानवें मात्र) के सापेक्ष नियमावली के नियम 28(क)(1) के प्राविधानानुसार 10 प्रतिशत सफल बोलीदाता धनराशि रू0 2,98,709.40 अर्थात् 2,98,709.00 (रू0 दो लाख अठानवें हजार सात सौ नौ मात्र), नियमावली के नियम 28(क)(3) के प्राविधानानुसार तथा 10 प्रतिशत प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक धनराशि रू0 2,98,709.40 अर्थात् 2,98,709.00 (रू0 दो लाख अठानवें हजार सात सौ नौ मात्र), निर्धारित समयान्तर्गत जमा नहीं कराये जाने तथा उक्त के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई सूचना अद्यतन उपलब्ध न कराये जाने के दृष्टिगत नियमावली के नियम 28(क)(2) के प्राविधानानुसार श्री संजय कुमार H2 निविदादाता के रूप में असफल ई-नीलामी बोलीदाता घोषित करते हुए उक्त नियम के प्राविधानानुसार श्री संजय कुमार H2 ई-नीलामी बोलीदाता द्वारा जमा अर्नेस्ट मनी भारतीय स्टेट बैंक-डी0डी0 सं0-721067, दिनांक 09.01.2018 रू0 80,000/- (रूपये अस्सी हजार मात्र) को निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के पक्ष में जब करते हुए नियमावली के नियम 28(क)(2) के प्राविधानानुसार कोटिक्रम में द्वितीय ई-नीलामी बोलीदाता H3 श्री वंशीधर भट्ट को उनकी उच्चतम बोली मूल्य रू0 10,00,928.00 (रूपये दस लाख नौ सौ अट्ठाईस मात्र) का दस प्रतिशत "सफल बोलीदाता धनराशि" रू0 1,00,092.80 अर्थात् 1,00,093.00 (रू0 एक लाख तिरानवें हजार मात्र) तीन कार्य दिवसों के अन्तर्गत तथा दस प्रतिशत धनराशि रू0 1,00,092.80 अर्थात् 1,00,093.00 (रू0 एक लाख तिरानवें हजार मात्र) "प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक" के सापेक्ष सात कार्यदिवसों के अन्तर्गत जमा कराये जाने का अवसर प्रदान किया जाता है।

#### आदेश

उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 28 (क) (2) के प्राविधानानुसार निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या 134/ई-निविदा सह ई-नीलामी/भूखनि0ई0/2017-18, दिनांक 02 मई, 2018 के क्रम में श्री संजय कुमार H2 बोलीदाता द्वारा ई0 निविदा में बोली गई उच्चतम बोली रू0 29,87,094.00 (रू0 उनतीस लाख सत्तासी हजार चौरानवें मात्र) के सापेक्ष नियमावली के नियम 28(क)(1) के प्राविधानानुसार 10 प्रतिशत सफल बोलीदाता धनराशि रू0 2,98,709.40 अर्थात् 2,98,709.00 (रू0 दो लाख अठानवें हजार सात सौ नौ मात्र), नियमावली के नियम 28(क)(3) के प्राविधानानुसार तथा 10 प्रतिशत प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक धनराशि रू0 2,98,709.40 अर्थात् 2,98,709.00 (रू0 दो लाख अठानवें हजार सात सौ नौ मात्र), निर्धारित समयान्तर्गत जमा न कराये जाने के दृष्टिगत नियमावली के नियम 28(क)(2) के अधीन श्री संजय कुमार H2 निविदादाता को एतद्द्वारा असफल ई-नीलामी बोलीदाता घोषित किया जाता है तथा उनके द्वारा निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के पक्ष में बन्धक/जमा अर्नेस्ट मनी भारतीय स्टेट बैंक-डी0डी0 सं0-721067, दिनांक 09.01.2018 रू0 80,000/- (रूपये अस्सी हजार मात्र) को निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के पक्ष में जब किया जाता है।



उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 28 (क) (2) में किये गये प्राविधानानुसार कोटिक्रम में तीसरे ई-नीलामी बोलीदाता H3 श्री वंशीधर भट्ट अधिकतम बोली रू0 10,00,928.00 (रूपये दस लाख नौ सौ अट्ठाईस मात्र) को सफल ई-नीलामी बोलीदाता घोषित किया जाता है तथा तदनुसार श्री वंशीधर भट्ट को निर्देशित किया जाता है कि वे नियमावली के नियम 28 (क) के बिन्दु संख्या - 1, 2, 3 व 4 के अधीन निम्नवत वांछित धनराशि एवं आवश्यक अभिलेख निर्धारित तिथि एवं समय के अन्तर्गत जमा कराना सुनिश्चित करें:-

1. उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 28 (क) (1) के अधीन वार्षिक ई-नीलामी बोली धनराशि रू0 10,00,928.00 (रूपये दस लाख नौ सौ अट्ठाईस मात्र) का 10 प्रतिशत "सफल बोलीदाता धनराशि" रू0 1,00,092.80 अर्थात् 1,00,093.00 (रू0 एक लाख तिरानवें हजार मात्र) आदेश प्राप्ति के 03 (तीन) दिन के अन्तर्गत ट्रेजरी चालान के माध्यम से विभागीय लेखा शीर्षक "0853-अलौह खनिज एवं धातुकर्म उद्योग" में जमा करते हुए ट्रेजरी चालान की प्रति एवं विभागीय वेबसाईट में पंजीकरण के दौरान प्रेषित समस्त अभिलेखों की मूल प्रतियां कार्यालय में जमा कराना सुनिश्चित करें तदोपरान्त ही आपको सफल बोलीदाता माना जा सकेगा।
2. उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 28 (क) (3) के अधीन वार्षिक ई-नीलामी बोली धनराशि रू0 10,00,928.00 (रूपये दस लाख नौ सौ अट्ठाईस मात्र) का 10 प्रतिशत "प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक धनराशि" रू0 1,00,092.80 अर्थात् 1,00,093.00 (रू0 एक लाख तिरानवें हजार मात्र) (सात) कार्य दिवसों के अन्तर्गत ट्रेजरी चालान के माध्यम से विभागीय लेखा शीर्षक "0853-अलौह खनिज एवं धातुकर्म उद्योग" में जमा कराते हुए ट्रेजरी चालान की प्रति कार्यालय में उपलब्ध करना सुनिश्चित करें, तदोपरान्त ही आपको प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक घोषित किया जा सकेगा तथा तदोपरान्त प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक के पक्ष में आशय पत्र जारी किये जाने की अग्रेत्तर कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी।
3. उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 28 (क) (2) के प्राविधानानुसार ई-नीलामी बोलीदाता H3 अर्थात् आपके द्वारा भी यदि वार्षिक ई-नीलामी बोली धनराशि रू0 10,00,928.00 (रूपये दस लाख नौ सौ अट्ठाईस मात्र) का 10 प्रतिशत "सफल बोलीदाता धनराशि" रू0 1,00,092.80 अर्थात् 1,00,093.00 (रू0 एक लाख तिरानवें हजार मात्र) 03 (तीन) दिन के अन्तर्गत तथा 10 प्रतिशत "प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक धनराशि" रू0 1,00,092.80 अर्थात् 1,00,093.00 (रू0 एक लाख तिरानवें हजार मात्र) ट्रेजरी चालान के माध्यम से विभागीय लेखा शीर्षक "0853-अलौह खनिज एवं धातुकर्म उद्योग" में जमा नहीं किया जाता है तो आपको भी असफल घोषित करते हुए आप द्वारा निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के पक्ष में बन्धक/जमा अर्नेस्ट मनी भारतीय स्टेट बैंक डी0डी0 संख्या-704929, दिनांक 14.02.2018 रू0 80,000/- को निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के पक्ष में जप्त कर दिया जायेगा तथा उक्त प्रक्रिया H4 कोटिक्रम के ई-नीलामी बोलीदाता तक व्यवहारित की जायेगी।

अतः श्री वंशीधर भट्ट H3 ई-नीलामी बोलीदाता से अपेक्षा है कि उपरोक्तानुसार समस्त कार्यवाही निर्धारित समयान्तर्गत सम्पन्न कराना सुनिश्चित करें।

(विनय शंकर पाण्डेय)  
निदेशक

संख्या: 195/ई-निवि0सह0ई-नीला0/भू0खनि0ई0/उत्तरकाशी/2018-19 तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, खनन, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2. जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।
3. खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, जनपद पिथौरागढ़।
4. श्री सैजय कुमार पुल श्री पिताम्बर शर्मा, ग्राम बस्ते, तहसील व जिला पिथौरागढ़।
5. सूचना पट्ट, जिलाधिकारी कार्यालय पिथौरागढ़/मुख्यालय देहरादून एवं भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, जनपद पिथौरागढ़ हेतु।

(विनय शंकर पाण्डेय)  
निदेशक